भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1508

दिनांक 28 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

घर पोर्टल

1508. श्री विजय बघेल :

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे :

श्री सुनील कुमार सोनी :

श्री दिलीप शइकीया :

श्री सुनील कुमार सिंह :

श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर :

श्री मोहन मंडावी :

श्री अरुण साव :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन बच्चों की खोज करने और उनका पता लगाने हेतु कोई तंत्र विकसित किया है, जिन्हें विशेषकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी राज्यों और झारखंड में उनके मूल राज्यों में वापस भेजा जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त राज्यों में 'गो होम एंड री-यूनाइट' (घर) पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों और 'घर' पोर्टल के माध्यम से वापस लाए गए बच्चों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इस पोर्टल के बारे में लोगों को जानकारी देने और जागरुकता पैदा करने हेतु कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा करने की योजना बना रही है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "ट्रैकचाइल्ड पोर्टल" विकसित किया है, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों और सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लापता और पाए गए बच्चों पर नज़र रखने को सक्षम बनाता है। ट्रैकचाइल्ड पोर्टल को विभिन्न हितधारकों जैसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, राष्ट्रीय विधिक सेवा

प्राधिकरण आदि की सहायता और भागीदारी से कार्यान्वित किया जाता है। "ट्रैकचाइल्ड" पोर्टल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। ट्रैकचाइल्ड पोर्टल के कार्यान्वयन के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों और अन्य हितधारकों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को हिदायतें भी जारी की गई है। ट्रैकचाइल्ड पोर्टल को गृह मंत्रालय के सीसीटीएनएस या अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम के साथ भी एकीकृत किया गया है, जो संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस द्वारा लापता बच्चों का पता लगाने और मिलान करने के लिए ट्रैकचाइल्ड के डेटा बेस के साथ लापता बच्चों की एफ.आई.आर. के मिलान के संदर्भ में अंतरसंचालनीयता की अनुमति देता है। ट्रैकचाइल्ड पोर्टल का एक घटक "खोया-पाया" है, जहां कोई भी नागरिक किसी भी लापता या देखे गए बच्चे की रिपोर्ट कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा सूचित किया गया है, एनसीपीसीआर द्वारा घर(जीएचएआर) - गो होम एंड री-यूनाइट (बच्चों की बरामदगी और प्रत्यावर्तन हेतु पोर्टल) नामक एक पोर्टल विकसित कर शुरू किया गया है। घर (जीएचएआर) पोर्टल को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और तद् धीन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों की बरामदगी और उनकी देश वापसी (प्रत्यावर्तन) की डिजिटल रूप रूप से निगरानी और ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है। पोर्टल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

I. उन बच्चों का डिजिटल रूप से पता लगाना और उनकी निगरानी करना, जो किशोर न्याय प्रणाली में हैं और जिन्हें दूसरे देश/राज्य/जिले में वापस भेजा जाना है।
II. बच्चों के मामलों का राज्य के संबंधित किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति को डिजिटल रूप से हस्तांतरण करना। इससे बच्चों की शीघ्र उनकी स्वदेश वापसी में मदद मिलेगी।
III. जहां अनुवादक/दुभाषिया/विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी, संबंधित राज्य सरकार से अनुरोध किया जाएगा।
IV. बाल कल्याण समितियाँ और जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बच्चे के मामले की प्रगति की डिजिटल रुप से निगरानी करके बच्चों की उपयुक्त रूप से बरामदगी और पुनर्वास सुनिश्चित कर सकते हैं।
V. प्ररूपों में एक चेकलिस्ट प्रारूप प्रदान किया जाएगा, ताकि जिन बच्चों प्रत्यार्वन में कठिनाई हो रही है या जिन बच्चों को उनका हकदार मुआवजा या अन्य मौद्रिक लाभ नहीं मिल रहे हैं, उनकी पहचान की जा सके।
VI. सरकार द्वारा क्रियान्वित स्कीमों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि बरामदगी के समय बाल कल्याण समितियां परिवार की स्थिति को मजबूत करने के लिए बच्चे को स्कीमों से जोड़ सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि बच्चा अपने परिवार के साथ रहे।

(ख): जैसा कि एनसीपीसीआर द्वारा सूचित किया गया है, कुल 1083 बच्चों को स्वदेश वापसी के लिए गो होम एंड री-यूनाइट (जीएचएआर) पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रत्यावर्तन के लिए पंजीकृत बच्चों का राज्य/जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में है।

(ग) से (ङ.): जैसा कि एनसीपीसीआर द्वारा सूचित किया गया है, 20 नवंबर, 2022 को एनसीपीसीआर द्वारा जीएचएआर पोर्टल के संबंध में जागरूकता सृजन-सह-शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी संबंधित हितधारक उपस्थित थे। एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र जारी कर पोर्टल पर

बच्चों का डेटा अपडेट करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही एनसीपीसीआर ने पूर्वोत्तर राज्यों में जीएचएआर पोर्टल के सभी हितधारकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

*****

अनुलग्नक -I

'घर पोर्टल' विषय पर श्री विजय बघेल, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे,श्री सुनील कुमार सोनी,श्री दिलीप शइकीया,श्री सुनील कुमार सिंह,श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर,श्री मोहन मंडावी और श्री अरुण साव द्वारा दिनांक 28.07.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1508 के भाग(ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में बच्चों का राज्य/जिलावार विवरण

क्र.सं.	राज्य	जिला	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई	1
2	असम	बारपेटा	1
		बिश्वनाथ	1
		बोंगईगांव	2
		कछार	1
		चिरांग	3
		दरांग	1
		धेमाजी	3
		धुबरी	3
		डिब्रूगढ़	1
		गोलपाड़ा	1
		गोलाघाट	2
		जोरहाट	1
		कामरूप	1
		कामरूप महानगर	5
		कार्बीआंगलोंग	2
		करीमगंज	2
		कोकराझार	7
		लखीमपुर	1
		मोरीगांव	2
		नगांव	3
		सोनितपुर	1
3	छत्तीसगढ़	बालोद	1
		बलरामपुर	1
		बिलासपुर	1
		दुर्ग	1
		जशपुर	1
		कोरिया	1
		महासमुंद	1
		रायपुर	4
4	झारखंड	आगर	1

		बोकारो	1
		चतरा	1
		देवघर	1
		धनबाद	9
		दुमका	4
		पूर्वी सिंहभूम	5
		गढ़वा	1
		गिरिडीह	1
		गोड्डा	4
		गोंडा	1
		खूंटी	1
		कोडरमा	1
		लातेहार	1
		पाकुर	7
		रांची	6
		साहिबगंज	13
		पश्चिमी सिंहभूम	10
5	महाराष्ट्र	धुले	1
		गढ़चिरौली	1
		जलगांव	1
		लातूर	1
		मुंबई	1
		नागपुर	1
		परभनी	1
		थाने	1
6	नागालैंड	दिमापुर	4
7	सिक्किम	पूर्व सिक्किम	1
		पश्चिम सिक्किम	1
8	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा	1
		पश्चिम त्रिपुरा	1
कुल			**140**